

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 श्री हरि राम तर्ड पुत्र/पुत्री श्री किसान राम तर्ड , माता का नाम - श्रीमती जयानी देवी, राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पता- पांचू, बीकानेर के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उक्त श्री हरि राम तर्ड राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एचड पी./एच.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT (28 जाट) वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
- 03 उक्त श्री हरि राम तर्ड आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं हैं।

定:

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग का मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- 3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 240655432436

*राज्य के विभिन्न धर्म के लिये राजस्थान सरकार के आजीन संपत्तियों में भिषुक्तियों और पर्यटनस्थ राज्य की शैक्षिक संस्थानों में सटी में आरक्षण के प्रयोजनार्थ

उपखण्ड अधिकारी, नोखा, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by COPAL

Digitally
JANGIR

Date: 2024.11.19 16:21:41

+05:36

Reason employed

Location: Rajasthan

